प्रेस नोट दिनांक 08.11.2026

आबकारी अधिनियम के सबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 27 पाऊच बंटी बबली (देशी शराब) बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.11.2026 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना वीजपुर खदरा पुलिया के पास से मु0अ0स0 453/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्त कन्हैया चौहान पुत्र रामसरीख चौहान निवासी भटौली वैश्य थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 27 पाउच बंटी बबली देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया

अभियुक्त का विवरण-

1. कन्हैया चौहान पुत्र रामसरीख चौहान निवासी भटौली वैश्य थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 453/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम

बरामदगी का विवरण-

27 पाऊच बंटी बवली (देशी शराब)

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 07.11.2026 समय -22:35 स्थाना- बीजपुर खदरा पुलिया

प्रेस नोट

दिनांक 08.11.2026

जनपद मऊ- थाना घोसी

झाड़ फूक के बहाने धोखे से चोरी करने के मामले में वाछिंत 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपरधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.11.2026 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना सोनाडीह अमरजीत सिह स्कूल के सामने जाने वाले रोड के किनारे से मु0अ0सं0 450/2026 धारा 318(4), 319 (2), 303(2), 317 (2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ से संबंधि अभियुक्तगण, 1. मिन्टू महावत पुत्र चन्दर महावत सा० हिन्द विहार मकान नं0 234 थाना प्रेम नगर नई दिल्ली, 2. भोलू महावत पुत्र सौखी महावत सा० हिन्द विहार गली नं0 07 मकान नं0 402 थाना प्रेम नगर नई दिल्ली के कब्जे से एक जोड़ी पायल सफेद धातु, एक जोड़ी बीछिया सफेद धातु की, एक अदद आधार कार्ड फूला देवी पत्नी कैलाश प्रजापति, व 2470 रूपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में दोनो व्यक्तियो ने एक स्वर मे बताया की साहब दिनांक 03.11.2026 को ग्राम बुद्धिकपुरा मे हम लोग साई के वेष मे अंगुठी का पत्थर बेचने व झाड़ फूक के बहाने गांव के एक घर गये जिसके घर पर कोई पुरुष नहीं

था केवल एक महिला और उसकी लड़की तथा उस लड़की की एक महीने का बच्चा थे जहाँ पर हम लोगो ने उस छोटे बच्चे का झाड़ फूक किया और अंगूठी मे पहनने वाले पत्थरो के बारे में बताया और उनको दिया और झाड़ फूक के नाम पर झाड़ फूक के दौरान ही दोनो को पूर्ण विश्वास में लेकर उनके इस्तमाली पायल, बिछिया व एक गले में पहने सोने का लाकिट को उतरवा के अपने हाथ मे लेलिया और महिला से खुद के खाने व पिने का सामान घर मे से मगवाया जब वह दोनो अन्दर गयी सामान लाने के लिए तो हम दोनो उनके सामान को लेकर वहा से भाग गये।
अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 450/2026 धारा 318(4), 319 (2), 303(2), 317 (2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मिन्टू महावत पुत्र चन्दर महावत सा० हिन्द विहार मकान नं0 234 थाना प्रेम नगर नई दिल्ली,
2. भोलू महावत पुत्र सौखी महावत सा० हिन्द विहार गली नं0 07 मकान नं0 402 थाना प्रेम नगर नई दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

1. एक जोड़ी पायल सफेद धातु
2. एक जोड़ी बीछिया सफेद धातु
3. एक अदद आधार कार्ड फूला देवी पत्नी कैलाश प्रजापति
4. 2470 रूपये नगद
5. 02 अदद मोबाइल जमातलासी-

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थल-

दिनांक 07.11.2026 समय – 9:30 बजे रात्री
स्थल- सोनाडीह अमरजीत सिह स्कूल के सामने जाने वाले रोड के किनारे से

प्रेस नोट

दिनांक- 08.11.2026
थाना घोसी, जनपद मऊ।

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार, फड़ से ताश के 52 पत्ते व 13,200/-रूपये व जामा तलाशी से 71000 /- रूपये बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.11.2026 को मुखबिर की खास सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 04 व्यक्तियों 1. अजय कुमार पुत्र बेचन निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 48 वर्ष 2. ओमप्रकाश सोनकर पुत्र स्व० दीपचंद सोनकर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद उम्र करीब 46 वर्ष 3. मनोज सोनकर पुत्र रामवृक्ष सोनकर निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 45 वर्ष 4. विवेकानंद राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर निवासी सराय ककूलत थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से ताश के 52 पत्ते, फड़ से 13,000/- रुपये और जामा तलाशी से 71,900/- रुपये नगद बरामद किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बकामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 455/2026 धारा- 13 जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 455/2026 धारा- 13 जुआ अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय कुमार पुत्र बेचन निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 48 वर्ष
2. ओमप्रकाश सोनकर पुत्र स्व० दीपचंद सोनकर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद उम्र करीब 46 वर्ष
3. मनोज सोनकर पुत्र रामवृक्ष सोनकर निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 45 वर्ष
4. विवेकानंद राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर निवासी सराय ककूलत थाना घोसी जनपद मऊ

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 08.11.2026 स्थान- रसूलपुर समय- 1:30

बरामदगी का विवरण

1.ताश के 52 पत्ते बरामद किए गए।

2.फड़ से 13,200/- रुपये और जामा तलाशी से 7100/- रुपये, कुल बरामद।

थाना घोसी पुलिस की तत्परता एवं सूझबूझ से आत्महत्या का प्रयास करने हेतु टावर पर चढ़े युवती को सकुशल नीचे उतारा/बचाया गया-

जनपद मऊ के थाना घोसी क्षेत्रांतर्गत नवपुरा में एक युवती द्वारा आत्महत्या के प्रयास के उद्देश्य से मोबाइल टावर पर चढ़ जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना घोसी पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा सूझबूझ, सतर्कता एवं तत्परता का परिचय देते हुए काफी प्रयासों के बाद युवती को सकुशल टावर से नीचे उतार लिया।

थाना घोसी पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही से एक संभावित अप्रिय घटना को टालते हुए अनमोल जिंदगी को बचाया गया। पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा द्वारा इस कार्य में सराहनीय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी आरक्षी राजवंत राय को प्रशस्ति पत्र ₹1,000/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।

मऊ पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं जीवन रक्षा के लिए सदैव तत्पर है।

पुलिस अधीक्षक मऊ ने बच्चों के साथ मनाई दीपावली, मिठाइयां वितरित कर एवं पटाखे जलाकर साझा कीं त्योहार की खुशियां-

दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा बच्चों के साथ दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों को मिठाइयां वितरित की गईं तथा उनके साथ पटाखे जलाकर दीपावली की खुशियां साझा की गईं। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और उत्साह ने त्योहार की खुशियों को और भी खास बना दिया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों के साथ आत्मीयता एवं अपनत्व के साथ समय बिताते हुए प्रेम, सौहार्द, भाईचारे और खुशियां बांटने का संदेश दिया।

इस खुशी के अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगम मौजूद रहे।

जनपद मऊ पुलिस की ओर से समस्त जनपदवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।